उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

सचिवालय परिसर, देहरादून।

पत्रांकः 1374 / USDMA- 1049 (2022)

देहरादून, दिनांक 15, ~~अक्टूबर~~ नवम्बर, 2022

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कार्यालय, सचिवालय परिसर, देहरादून में खड़े 02 निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी खुली बोली के द्वारा 'जहां है, जैसा है' के आधार पर की जानी है। इच्छुक बोलीदाता निर्धारित आवेदन पत्र/नियम/शर्तें किसी भी कार्य दिवस पर सूचना प्रकाशित होने की तिथि से दिनांक– 21/11/2022 तक दोपहर 12:00 बजे उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सचिवालय, देहरादून स्थित कार्यालय से रू0 500.00 का निर्धारित शुल्क जमा करते हुए प्राप्त कर सकते है तथा इच्छुक बोलीदाता द्वारा निर्धारित प्रपत्र आवश्यक सूचनाओं सहित दिनांक–24/11/2022 को सायं 5.00 बजे तक उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिवालय, देहरादून स्थित कार्यलय में जमा करा सकते हैं। उक्त वाहनों की नीलामी दिनांक–25/11/2022 को प्रातः 11:00 बजे नीलामी समिति के सम्मुख उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कार्यालय, सचिवालय परिसर, देहरादून में कार्यालय में की जायेगी । बोलीदाता का स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है।

2. इच्छुक बोलीदाता द्वारा नियमानुसार निविदा शर्तों के अनुरूप वाहनों के न्यूनतम ह्रास मूल्य के 10 प्रतिशत की एफ0डी0आर0/बैंक ड्राफ्ट को टोकन के रूप में जमा किया जायेगा।

3. इच्छुक बोलीदाता उक्त वाहनों के भौतिक निरीक्षण हेतु उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कार्यालय, सचिवालय परिसर, देहरादून स्थित कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में दिनांक–21/11/2022 से पूर्व सम्पर्क कर सकते हैं।

07/11

(सविन बंसल)

ऑ/ अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी–प्रशासन

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कार्यालय अन्तर्गत निष्प्रयोज्य घोषित वाहनों की नीलामी हेतु आवेदन प्रपत्र

1. बोलीदाता का नाम...
2. पिता का नाम..
3. स्थायी पता..
4. वाहन की पंजीकरण संख्या, जिसके लिये बोलीदाजा द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है:–

क्र0सं0	वाहन पंजीकरण संख्या
01.	
02.	

5. एफ0डी0आर0 / बैंक ड्राफ्ट का विवरण...
6. बोलीदाता के व्यक्तिगत पहचान हेतु राशन कार्ड / फोटो पहचान पत्र / ड्राइविंग लाइसेंस / आधार कार्ड / पैन कार्ड संख्या का विवरण तथा छायाप्रति....................................

(बोलीदाता व्यक्ति का नाम)

हस्ताक्षर–

14/11/22

14/11/2022

शपथ पत्र

मैं पुत्र श्री .... , निवासी .... यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कार्यालय के वाहनों को नीलाम किये जाने हेतु निर्धारित नियम/शर्तों को पढ़ एवं समझ लिया गया है। मैं उक्त निर्धारित नियम/शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु तैयार हूं। नीलामी के सम्बन्ध में नीलामी समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम एवं मुझे स्वीकार्य होगा। उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कार्यालय में मेरा कोई सगा सम्बन्धी कार्यरत नहीं है।

(बोलीदाता व्यक्ति का नाम)

हस्ताक्षर–

14/11/22

14/11/2022

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निष्प्रयोजन घोषित वाहनों को नीलामी हेतु निर्धारित नियम शर्तेः—

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निष्प्रयोज्य घोषित 02 वाहनों को खुली बोली के द्वारा जहाँ है, जैसा है, के आधार पर नीलामी किये जाने हेतु वाहनों से सम्बन्धित विवरण एवं आवश्यक शर्तें। निम्नवत् हैः—

क्र0सं0	वाहन संख्या	मेक वाहन	मॉडल	कुल चलित दूरी	सम्भागीय निरीक्षक द्वारा पुनर्मूल्याकन धनराशि(रूपये में)
1.	यू0के0—07 GA 0713	महिन्द्रा बोलेरो	2008	2,29,271 कि0मी0	57,000.00
2.	यू0के0—07 GA 0078	एम्बेसडर	2010	3,00,000 कि0मी0	28,500.00

14-11-22

14/11/2022

नियम / शर्तें

1. निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी खुली बोली के द्वारा 'जहाँ है, जैसा है' के आधार पर की जायेगी।
2. बोलीदाता को राशनकार्ड / फोटो पहचान पत्र / ड्राइविंग लाईसेन्स / आधार कार्ड / पैन कार्ड के रूप में अपनी व्यक्तिगत पहचान हेतु प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
3. बोलीदाता को इच्छुक वाहन हेतु उक्त वाहन के ह्रास मूल्य के 10 प्रतिशत की धनराशि का एफ0डी0आर0 / बैंक ड्राफ्ट किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी–प्रशासन, देहरादून के पक्ष में बनाते हुए नीलामी हेतु निर्धारित आवेदन पत्र के साथ जमा कराना अनिवार्य होगा।
4. अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी–प्रशासन के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी अथवा सभी आवेदनों को स्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
5. अन्य नियमों व शर्तों, यदि कोई आवश्यक हो, की नीलामी स्थल पर समिति के निर्णयानुसार की जाएगी।
6. उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में सेवारत व्यक्ति तथा उनके निकटतम परिवार के सदस्य नीलामी में भाग लेने हेतु अर्ह नहीं होगा।
7. नीलामी की समस्त कार्यवाही का सम्पादन परिवहन विभाग के द्वारा नामित अधिकारी जो सम्भागीय परिवहन निरीक्षक स्तर से कम न हो, परिवहन विभाग में प्रचलित नियमों / प्रक्रियाओं के अनुसार अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी–प्रशासन की देख रेख में किया जायेगा।
8. निविदादाता एक अथवा एक से अधिक वाहनों के लिये निविदा प्रस्तुत कर सकते हैं। निविदादाता जितने वाहनों के लिये इच्छुक होंगे, उतने ही वाहनों के लिये पृथक–पृथक ह्रास मूल्य के 10 प्रतिशत के समतुल्य एफ0डी0आर0 / बैंक ड्राफ्ट किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
9. उच्चतम बोलीदाता द्वारा बोली गयी उच्चतम बोली की सम्पूर्ण धनराशि वाहन हस्तगत कराये जाने से पूर्व नियमानुसार व्यापर कर सहित नकद रूप में अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी–प्रशासन, उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भुगतान करनी होगी, ऐसा न करने की दशा में उनकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी तथा द्वितीय उच्च बोली पर वाहन की नीलामी के सम्बन्ध में विचार किया जा सकेगा।
10. उच्चतम बोलीदाता की धरोहर राशि उसकी उच्चतम बोली की धनराशि में समायोजित कर ली जायेगी तथा शेष अन्य की धरोहर राशि नीलामी की कार्यवाही के पश्चात् सम्बन्धित को वापस की दी जायेगी।

11. नीलामी अन्तिम होने के उपरान्त सफल नीलामीदाता का तत्काल शेष धनराशि का भुगतान कर वाहन को जहाँ है, जैसा है, के आधार पर लेना होगा, जिसके लिये अधिकतम दो दिन का समय दिया जायेगा।

12. अन्य शर्तें / प्रतिबन्ध यदि कोई आवश्यक हुई, तो उसे नीलामी से पूर्व समिति द्वारा सुना दिया जायेगा।

14/11/22

14/11/2022